

पूर्वोत्तर रेलवे
अधिसूचना सं० 01/2018

विषय:-रेलवे कर्मचारियों/बाहरी उपभोक्ताओं/अन्य सरकारी विभागों/सोशल आर्गेनाइजेशन/ केन्द्रीय विद्यालय कर्मचारी/जी.आर.पी. कर्मचारी/केन्द्रीय विद्यालय एवं अन्य सरकारी विद्यालयों को आपूर्ति की जा रही विद्युत दरों का पुनरीक्षण।

उ०प्र०पा०का०लि०/लखनऊ द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना दिनांक 31.11.2017 के द्वारा विद्युत दरों में किये गये पुनरीक्षण के फलस्वरूप एवं रेलवे बोर्ड द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित उपभोक्ताओं को दी जाने वाली विद्युत दरों में निम्नवत संशोधन/वृद्धि की जाती है।

निम्न दरों पर लेखा विभाग की वित्तीय सहमति एवं मंडल रेल प्रबन्धक/इज्जतनगर महोदय की स्वीकृति प्राप्त है।

1.रेलवे कर्मचारियों के लिए-

फिक्सड चार्ज प्रतिमाह		इनर्जी चार्ज प्रतिमाह/प्रति यूनिट	
टाइप-I	=1.0कि०वा० रु.100.00	150 यूनिट/माह तक	= रु.4.90 प्रति यूनिट
स्पेशल टाइप-I से टाइप-II तक	=2.0कि०वा० रु.200.00	151से 300 यूनिट/माह तक	=रु 5.40 प्रति यूनिट
टाइप-III	= 3.0कि०वा० रु.300.00		
टाइप IV	=5.0 कि०वा० रु.500.00	301 से 500 यूनिट/माह तक	=रु.6.20 प्रति यूनिट
टाइपV	=8.0कि०वा० रु.800.00		
(महाप्रबन्धक/विद्युत/गोरखपुर के पत्र सं.वि/62/आवास रिवायरीग/113 दिनांक 24.01.11 के अनुसार)		501 यूनिट/माह से अधिक	=रु. 6.50 प्रति यूनिट

2.बाहरी उपभोक्ताओं के लिए(गैर सरकारी)

फिक्सड चार्ज प्रतिमाह		इनर्जी चार्ज प्रतिमाह/प्रति यूनिट	
2 कि०वा० भार तक रु० 275.00 प्रति कि.वा. प्रति माह		1000 यूनिट/माह तक	रु० 7.80 प्रति यूनिट
		1001 से 2000 यूनिट/माह तक	रु० 8.10 प्रति यूनिट
2 कि०वा० से अधिक-4कि०वा० तक रु० 290.00 प्रति कि.वा. प्रति माह		2000 यूनिट/माह से अधिक	रु० 8.30 प्रति यूनिट
		प्लस सर्विस प्रभार 40 % 1000 यूनिट तक	रु० 3.12 प्रति यूनिट
4 कि०वा० से अधिक रु० 300.00 प्रति कि.वा. प्रति माह		सर्विस प्रभार 40% 1001 से 2000 यूनिट तक	रु० 3.24 प्रति यूनिट
		सर्विस प्रभार 40% 2001 यूनिट से अधिक पर	रु० 3.32 प्रति यूनिट
		योग	
		प्रथम 1000 यूनिट तक	रु० 10.92 प्रति यूनिट
		अगले 1001 से 2000 यूनिट तक	रु० 11.34 प्रति यूनिट
		2001 यूनिट से अधिक पर	रु० 11.62 प्रति यूनिट

3.अन्य सरकारी विभागों के उपभोक्ताओं के लिए

फिक्सड चार्ज प्रतिमाह		इनर्जी चार्ज प्रतिमाह/प्रति यूनिट	
2कि०वा० भार तक रु० 275.00 प्रति कि.वा. प्रति माह		1000 यूनिट/माह तक	रु० 7.80 प्रति यूनिट
		1001 से 2000 यूनिट/माह तक	रु० 8.10 प्रति यूनिट
2कि०वा० से अधिक-4कि०वा० तक रु० 290.00 प्रति कि.वा. प्रति माह		2000 यूनिट/माह से अधिक	रु० 8.30 प्रति यूनिट
		प्लस सर्विस प्रभार 32.5 % 1000 यूनिट तक	रु० 2.53 प्रति यूनिट
4कि०वा० से अधिक रु० 300.00 प्रति कि.वा. प्रति माह		सर्विस प्रभार 32.5% 1001 से 2000 यूनिट तक	रु० 2.63 प्रति यूनिट
		सर्विस प्रभार 32.5% 2001 यूनिट से अधिक पर	रु० 2.69 प्रति यूनिट
		योग	
		प्रथम 1000 यूनिट तक	रु० 10.33 प्रति यूनिट
		अगले 1001 से 2000 यूनिट तक	रु० 10.73 प्रति यूनिट
		2001 यूनिट से अधिक पर	रु० 10.99 प्रति यूनिट

4.सोशल बेलफेयर आर्गेनाइजेशन आदि के लिए मान्यता प्राप्त यूनियनों, मनोरंजन संस्थानों, अधिकारी क्लबों एवं टेनिस कोर्ट पर लागू दरें।

फिक्सड चार्ज प्रतिमाह	इनर्जी चार्ज प्रतिमाह/प्रति यूनिट
टाइप- I =1.0कि0वा0 रु.100.00	मान्यता प्राप्त यूनियनों के लिये निर्धारित अधिकतम सीमा 50 यूनिट तक दर रु0 4.90 प्रति यूनिट
स्पेशल टाइप- I से टाइप- II तक=2.0 कि0वा0 रु.200.00	51 से 1000 यूनिट तक रु0 10.92 प्रति यूनिट
टाइप- III = 3.0 कि0वा0 रु.300.00	1001 से 2000 यूनिट तक रु0 11.34 प्रति यूनिट
टाइप IV =5.0 कि0वा0 रु.500.00	2001 से अधिक यूनिट पर रु0 11.62 प्रति यूनिट
टाइप V =8.0कि0वा0 रु.800.00	मनोरंजन संस्थान,अधिकारी क्लब टेनिस कोर्ट के लिय निर्धारित अधिकतम सीमा 150 यूनिट तक दर रु0 4.90 प्रति यूनिट
(महाप्रबन्धक/विद्युत/गोरखपुर के पत्र सं.वि/62/आवास रिवायरिंग/113 दिनांक 24.01.11 के अनुसार)	इससे अधिक खपत पर दरें। 151 से 1000 यूनिट प्रतिमाह तक रु0 10.92 प्रति यूनिट 1001 से 2000 यूनिट तक रु0 11.34 प्रति यूनिट 2001 से अधिक यूनिट पर रु0 11.62 प्रति यूनिट

5.केन्द्रीय विद्यालय/अन्य सरकारी विद्यालय के कर्मचारियों एवं जी.आर.पी. कर्मचारियों के लिए प्रतिमाह-

फिक्सड चार्ज प्रतिमाह	इनर्जी चार्ज प्रतिमाह/प्रति यूनिट
टाइप- I =1.0कि0वा0 रु.100.00	150 यूनिट/माह तक = रु.4.90 प्रति यूनिट
स्पेशल टाइप- I से टाइप- II तक =2.0कि0वा0 रु.200.00	151से 300 यूनिट/माह तक=रु 5.40 प्रति यूनिट
टाइप- III = 3.0कि0वा0 रु.300.00	301 से 500 यूनिट/माह तक=रु.6.20 प्रति यूनिट
टाइप IV =5.0 कि0वा0 रु.500.00	501 यूनिट/माह से अधिक =रु. 6.50 प्रति यूनिट
टाइप V =8.0कि0वा0 रु.800.00	
(महाप्रबन्धक/विद्युत/गोरखपुर के पत्र सं.वि/62/आवास रिवायरिंग/113 दिनांक 24.01.11 के अनुसार)	

6.केन्द्रीय विद्यालय एवं अन्य सरकारी विद्यालय के लिये-

2कि0वा0 भार तक प्रति माह रु0 275.00 प्रति कि.वा.	1000 यूनिट/माह तक रु0 7.80 प्रति यूनिट
	1001 से 2000 यूनिट/माह तक रु0 8.10 प्रति यूनिट
	2000 यूनिट/माह से अधिक रु0 8.30 प्रति यूनिट
2कि0वा0 से अधिक-4कि0वा0 तक रु0 290.00 प्रति कि.वा.प्रति माह	प्लस सर्विस प्रभार 32.5 % 1000 यूनिट तक रु0 2.53 प्रति यूनिट
	सर्विस प्रभार 32.5% 1001 से 2000यूनिटतक रु0 2.63 प्रति यूनिट
4कि0वा0 से अधिक प्रति माह रु0 300.00 प्रति कि.वा.	सर्विस प्रभार 32.5% 2001 यूनिट सेअधिक पररु0 2.69 प्रति यूनिट
	योग प्रथम 1000 यूनिट तक रु0 10.33 प्रति यूनिट
	अगले 1001 से 2000 यूनिट तक रु0 10.73 प्रति यूनिट
	2001 यूनिट से अधिक पर रु0 10.99 प्रति यूनिट

7.विशेष अवसरों पर रेलवे मनोरंजन संस्थानों तथा रेल परिसर में दिये जाने वाले अस्थायी विद्युत कनेक्शन के हेतु।
रेलवे कर्मचारियों के लिये-

विवरण	इनर्जी चार्ज
विशेष अवसरों पर 20 कि0वा0 भार तक प्रतिदिन।	रु0 4250.00 प्रतिदिन 20 कि0वा0 से अधिक उपयोग करने पर रु0 100.00 प्रति कि0वा0 अतिरिक्त।


8. विशेष अवसरों पर रेलवे मनोरंजन संस्थानों तथा रेल परिसर में दिये जाने वाले अस्थायी विद्युत कनेक्शन के हेतु।
बाहरी पार्टियों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिये—

विवरण	इनर्जी चार्ज
विशेष अवसरों पर 20 कि०वा० भार तक प्रतिदिन।	रु० 4250.00
	सर्विस प्रभार 40 % = रु० 1700.00 योग = रु० 5950.00
	20 कि०वा० से अधिक उपयोग करने पर रु० 140.00 प्रति कि०वा० अतिरिक्त।


नोट:—1.उ.प्र.शासन की अधिसूचना सं. 1845/xxiv-P-3-2012 दिनांक 13.09.2012 के अनुसार इनर्जी चार्ज प्लस फिक्सड चार्ज के योग का 5 प्रतिशत प्रति माह विद्युत कर अलग से देय होगा।(अस्थायी विद्युत कनेक्शन को छोड़कर)

2 माननीय आयोग के टैरिफ आदेश, वित्तीय वर्ष 2017-18 दिनांक 30.11.2017 के अनुपालन में दक्षिणांचल, मध्यांचल एवं पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम हेतु 4.28 प्रतिशत की दर से एवं पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम हेतु 0.00 प्रतिशत की दर से देय होगा। केस्को कानपुर क्षेत्र के धरेलू वत्ती पंखा एवं निजी नलकूप उपभोक्ता हेतु 3.91 प्रतिशत की दर एवं अन्य सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु 4.13 प्रतिशत की दर से पूर्व की भाँति देय होगा। (अस्थायी विद्युत कनेक्शन को छोड़कर)

उक्त दरें सार्वजनिक सूचना दिनांक 30.11.2017 के 7 दिन बाद से प्रभावी होगी।


(मंविड/सा०/इज्जतनगर)
कृते वरि० मंडल विद्युत इंजीनियर/सा०
इज्जतनगर।
दिनांक— 14.02.2018
15

- सं० वि/65/विद्युत दर/इज्जतनगर/648
प्रतिलिपि— सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—
1. महाप्रबन्धक/विद्युत/गोरखपुर।
 2. महाप्रबन्धक/कामिक/गोरखपुर।
 3. वित्त सलाहकार एवं मुख्यलेखाधिकारी/गोरखपुर।
 4. वरिष्ठ मंडल लेखाधिकारी/इज्जतनगर।
 5. समस्त मंडल अधिकारी/इज्जतनगर।
 6. मं० रे० प्र०/लखनऊ, बनारस
 7. मुख्य कारखाना प्रबन्धक/इज्जतनगर।
 8. मण्डल लेखा परीक्षाधिकारी/इज्जतनगर।
 9. वरिष्ठ मण्डल लेखाधिकारी/इज्जतनगर।
 10. उपमंविड/कार./इज्जतनगर।
 11. वरिष्ठ मण्डल सुरक्षा आयुक्त रे० सु० ब०/इज्जतनगर।
 12. सहायक इंजीनियर/इज्जतनगर, काशीपुर, फतेहगढ़
 13. समस्त सी.से.ई./वि/इज्जतनगर मण्डल।
 14. मण्डल मन्त्री/नरमू/इज्जतनगर।


(मंविड/सा०/इज्जतनगर)
कृते वरि० मंडल विद्युत इंजीनियर/सा०
इज्जतनगर।


14/2/18